**मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड**
**किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल**

क्रमांक / बी–6 / नियमन / ई–अनुज्ञा / 521 / 1817 भोपाल, दिनाँक 06.05.2019

**परिपत्र**

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / बी–6 / नियमन / उपविधि संशो. / 214 / 1933, भोपाल दिनाँक 13.12.2017 से मण्डी समितियों के लिए लागू उपविधि सन 2000 में संशोधन स्थापित कर **गंतव्य / डिलीवरी क्रेता व्यापारी (थर्ड पार्टी) के नाम से अनुज्ञा पत्र** जारी करने का प्रावधान किया गया है ।

उक्तानुसार जारी किये जाने वाले थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्रों के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है –

1. अनुज्ञा पत्र, केवल अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से फॉर्म 10 में घोषणा प्राप्त किया जाकर जारी किये जा सकते है। इसीलिए थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के लिए भी अनिवार्यतः यह आवश्यक है कि **विक्रेता व्यापारी और प्राथमिक क्रेता व्यापारी (जिसके लिए थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्र जारी किया जा रहा है), दोनों को राज्य की किसी मण्डी समिति का अनुज्ञप्तिधारी होना चाहिए।**

2. गंतव्य / डिलीवरी क्रेता व्यापारी (थर्ड पार्टी), राज्य के अंदर या राज्य के बाहर निवासरत / व्यवसायरत हो सकता है।

3. थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्र निम्न परिस्थितियों में जारी किये जा सकेंगे –

**राज्य में उपयोग हेतु अनुज्ञा पत्र (थर्ड पार्टी) –**

- इस प्रकार के अनुज्ञा पत्रों को जारी किये जाने हेतु, **विक्रेता व्यापारी, प्राथमिक क्रेता व्यापारी और गंतव्य / डिलीवरी क्रेता व्यापारी (थर्ड पार्टी) तीनों को मध्यप्रदेश राज्य में निवासरत / व्यवसायरत होकर, राज्य की किसी मंडी समिति का अनुज्ञप्तिधारी होना अनिवार्य आवश्यकता है ।**

- यदि गंतव्य / डिलीवरी क्रेता व्यापारी (थर्ड पार्टी) इस अनुज्ञा पत्र के आधार पर नियमानुसार मण्डी फीस से छूट प्राप्त कर सकेगा ।

**राज्य के बाहर उपयोग हेतु अनुज्ञा पत्र (थर्ड पार्टी) –**

- इस प्रकार के अनुज्ञा पत्रों को जारी किये जाने हेतु, **विक्रेता व्यापारी और प्राथमिक क्रेता व्यापारी दोनों को मध्यप्रदेश राज्य में निवासरत / व्यवसायरत होना अनिवार्य आवश्यकता है ।**

- इस स्थिति में गंतव्य / डिलीवरी क्रेता व्यापारी (थर्ड पार्टी) अनिवार्यतः राज्य के बाहर निवासरत / व्यावसायरत होगा । अतः गंतव्य / डिलीवरी क्रेता व्यापारी (थर्ड पार्टी) का राज्य की किसी मण्डी समिति का अनुज्ञप्तिधारी होना अनिवार्य नहीं है ।

* यह अनुज्ञा पत्र राज्य के बाहर परिवहन किये जाने पर अंतर्राज्यीय जांच चौकी पर जमा कराये जायेंगे ।

4. उक्तानुसार **प्राथमिक क्रेता व्यापारी किसी भी स्थिति में गैर अनुज्ञप्तिधारी अथवा/एवं मध्यप्रदेश राज्य के बाहर निवासरत/व्यावसायरत** नहीं होगा ।
   प्राथमिक क्रेता व्यापारी कें गैर अनुज्ञप्तिधारी अथवा/एवं मध्यप्रदेश राज्य के बाहर निवासरत/व्यावसायरत होने पर थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्र जारी नही हो सकेगा।

5. प्राथमिक क्रेता व्यापारी और गंतव्य/डिलीवरी क्रेता व्यापारी (थर्ड पार्टी) (यदि वह राज्य की किसी मण्डी समिति का अनुज्ञप्तिधारी है) के द्वारा, अपने पाक्षिक विवरणियों में उक्तानुसार थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्र के आधार पर क्रय/विक्रय/परिवहित की गई अधिसूचित कृषि उपज का अनिवार्यतः उल्लेख किया जावेगा ।

6. थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें ।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/ई–अनुज्ञा/521/1828 भोपाल, दिनाँक 06.05.2019

प्रतिलिपि –

1. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ चीफ प्रोग्रामर, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
2. संयुक्त/उप संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय – समस्त ।
3. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति – समस्त ।
4. आदेश नस्ती ।

4/5/19

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल